न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 52/2022 (GCMS : 2022/80)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. **बलराम पुत्र स्व. अमर सिंह** जाति जाट आयु 69 निवासी जीनीयस पब्लिक स्कूल, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ वर्तमान निवासी गांव दत्तावता तह. आमेर जिला जयपुर।

— — — **वादी प्रार्थी**

बनाम

1. **ओमप्रकाश** पुत्र स्व. अमर सिंह जाति जाट निवासी 6 एच एच हेतरामवाला पो. ऑ. महियांवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर
2. **कृष्ण लाल** पुत्र स्व. अमर सिंह जाति जाट निवासी 6 एच एच हेतरामवाला पो. ऑ. महियांवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर
3. **लक्ष्मी देवी** पत्नी रणवीर सिंह पुत्री स्व. अमर सिंह जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. **गुडी देवी** पत्नी सोहनलाल सिहाग पुत्री अमर सिंह जाति जाट निवासी ढींगावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर — — **अप्रार्थीगण**

08.06.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मुकेश भण्डारी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नाई उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण अनवानी बलराम बनाम ओम प्रकाश वगै. अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है, अतः इसे खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि यदि इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी बलराम बनाम ओमप्रकाश वगै. अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:01 IST
Reason: SelfAttested